कार्यालय उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग, कालसी

पत्रांक 807 /18-4 चकराता, दिनांक 23 सितम्बर 2008

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली टोन्स नदी के प्लाट संख्या–2 कालसी ब्लाक तथा प्लाट संख्या–3 रामपुर मण्डी के यमुना नदी तल क्षेत्र से उप खनिज का चुगान/खनन।

संदर्भ : उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की शासनादेश संख्या 2999/VII – 1-08/08- रिट/2003 देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2008

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि **शासनादेश संख्या 2999/VII –1-08/08- रिट/2003 देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2008 (छायाप्रति संलग्न)** द्वारा जनपद देहरादून की चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली टोन्स नदी के प्लाट सं0–2 कालसी ब्लाक के 25 एकड़ तथा प्लाट सं0–3, रामपुर मण्डी के यमुना नदी के 28.42 एकड़ नदी तल क्षेत्र से उप खनिज, साधारण बालू, बजरी, बोल्डर आदि के चुगान/खनन के 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश पूर्व में उत्तराखण्ड वन विकास निगम/गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पक्ष में खनन पट्टे की निर्गत आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिकमित/निरस्त करते हुए निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य आपके संज्ञान में लाने हैं:–

– उक्त शासनादेश की प्रति वन विभाग को नहीं है जबकि आदेश आरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में निर्गत किये गये हैं। **उक्त आदेश की प्रति इस कार्यालय को जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 1077/खनन पट्टा/2008–09 दिनांक 16.09.08 द्वारा दिनांक 19.09.2008 को इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।**

– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शासनादेश सं0 8–80/93–एफ0सी0, दिनांक 25.02.1997 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में खनन/चुगान की स्वीकृति प्राप्त है **(छायाप्रति संलग्न)**

- टी0एन0 गौडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य में **दिनांक 28 मार्च 2008/9 मई 2008 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न)** के कम में एन0पी0वी0 की धनराशि लिये जाने/न लिये के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना होगा क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति (1997) में इसका उल्लेख नहीं है।

- समिति से क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रिवर ट्रेनिंग आदि कार्यों हेतु धनराशि एकमुश्त ली जानी चाहिए इस हेतु क्षेत्र चयनित कर पृथक से प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि पूर्व में इस प्रकरण में कुछ क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया भी गया है।

- जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा उक्त शासनादेश के कम में क्षेत्र चिन्हित करने हेतु पत्र लिखा गया है जिसमें क्षेत्र चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

- जिलाधिकारी द्वारा सम्भवतया दिनांक 23/24 सितम्बर 2008 को खनिज परिहार नियमावली के नियम–2 में गठित समिति की बैठक बुलायी जा रही है, जिसमें भी अधोहस्ताक्षरी की ओर एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, रिवर ट्रेनिंग आदि हेतु धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में बिन्दु रखा जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कम में आवश्यक मार्ग दर्शन देने की कृपा की जाय। मेरे विचार से उचित होगा कि इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर ली जाय। ज्ञातव्य है कि [illegible]

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (3)

भवदीय,
19-9
उप वन संरक्षक,
चकराता वन प्रभाग, कालसी।